

रिपोर्ट पं. ह. जलीडी

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम - जलीडी की खाता संख्या 440 संवत् 2013-2016 पर प्राप्ति के पिता का नाम हरराम पुत्र कालु सह-खातेदारी एक है कि रिपोर्ट पं. ह. जलीडी के अंतर्गत खेती कुशा काही पूर्व मी. प्री. मान उपखण्ड अधिकारी महोदय के यहां उक्त खेती के खाते में पिता की खातेदारी छली भूमि के नाम हरराम पुत्र कालु के अलावा सौराम पुत्र कालु दर्ज है। उक्त लेखन सब वस्तु कुशा का खाते में भुाई होना यह जगह ही प्राप्ति के पिता की प्रत्यु है। कुशा की क. अ. प्र. की भूमि में विरासत का नामा होना एक कुशा में नाम हरराम पुत्र कालु ही यह रहा है। रिपोर्ट पं. अ. निरीक्षक वृत्त कालु का जगह उपखण्ड अधिकारी

वि. प्र. मी.

रिपोर्ट पं. ह. जलीडी के अंतर्गत एक स्ट्रीट ग्राम जलीडी की

सं. 440 - हरराम पुत्र कालु के अलावा सौराम पुत्र कालु पिता जगह उपखण्ड अधिकारी के अंतर्गत है। रिपोर्ट पं. अ. निरीक्षक वृत्त कालु का जगह उपखण्ड अधिकारी

क्रमांक राजपत्र/23

दि. 9.12.2021

महोदयजी, निवेदन है कि रिपोर्ट पं. ह. जलीडी / भू. अ. नि. वि. जलीडी में सलगन पत्रांकों अनुसार ग्राम - जलीडी की जमाबंदी के द्वारा सं. 440 में हरराम पुत्र कालु के स्थान पर सौराम पुत्र कालु दर्ज किए जाने की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार
के. ए. वि. जलीडी कालु
तहसील विजोलिया जिला - भीलवाड़

पटवारी प. ह. जलीडी, भू. अ. नि. वि. जलीडी की ऑफिस रिपोर्ट एवं तहसीलदार विजोलिया की स्पष्ट अनुशंसा के आधार पर आपेक्षक रमेश पिल सौराम के साथ जलीडी की जमाबंदी खाल सं. 440 में अंकित नाम हरराम पुत्र कालु के स्थान पर सौराम पुत्र कालु जारी कराई दर्ज किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
विजोलिया
प्रशासन सेवा समिति जनवरी-2021
(उपखण्ड अधिकारी)
विजोलिया (भीलवाड़)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान... बिजौलिया कला

--:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जलीन्दी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम जलीन्दी तहसील बिजौलिया जिला बीकानेर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 440 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जा राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
	<u>जलीन्दी</u>	<u>440</u>	<u>हराम पुत्र कालु जाति कराड़ अंकित है।</u>	<u>हराम पुत्र कालु जाति कराड़ के स्थान पर सौराम पुत्र कालु जाति कराड़ दर्ज किया जाय है।</u>



(सोम) लिवडी
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया

क्रमांक :- 345/21

दिनांक :- 09/12/2021

प्रविष्टि :-

1. तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री रमेश पुत्र सौराम जाति उराड़ नि. जलीन्दी को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रावली।

बिजौलिया
पीठासीन अधिकारी
प्रशासन उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया